

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

GMS-2025/88

गजेन्द्र सिंह बनाम नवरतनसिंह वगै०

मुकदमा नम्बर :- 44 / 2025

वाद पत्र धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26.03.2025	<p>वकील वादी ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 21.04.2025 को पेश हो।</p>	
	21/4/25	<p>व. वादी उपर पत्रावली करवाकर तलबी के खबर सुनायी गयी। 28/4/25 को पेश हो।</p>	
	28/4/25	<p>पत्रावली पेश हुई। न्यायालय के साथ सम्पर्क रहे तक पत्रावली के पर-पर आवाज दिलायी गयी। पत्रावली न्यायालय व न्यायालय अन्तर्गत है अतः पत्रावली अग्रत वापसी अग्रत पेशी के खारिज की जाती है पत्रावली दल करवाकर उक्त के तथा आविल उपर है।</p>	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)